

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 09/2022-State Tax (Rate)

Dated:17/11/2022

No. F.3 (30)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/897 - In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June, 2017 namely :-

In the said notification,

- (i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure "serial numbers 1", the words, figure and letters "serial numbers 1AA" shall be substituted;
- (ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

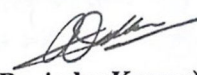
(1)	(2)	(3)
"1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated"

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

Note: - The principal notification No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June, 2017, and was last amended by notification No. 20/2018 – State Tax (Rate) dated the 2nd September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (11)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/377, dated the 2nd September, 2019.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary-I (Finance)

No. F.3 (30)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/897

Dated:17/11/2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Special Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary-I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 09/2022-राज्य कर (दर)

दिनांक: 17/11/2022

सं.फा.03(30)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/897: दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 05/2017 -राज्य कर(दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/371, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक "क्रम संख्या 1", के स्थान पर शब्द और अंक "क्रम संख्या 1कक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी में क्रम संख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

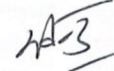
(1)	(2)	(3)
"1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1घ.	1510	अन्या तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं।
1ङ.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसुम या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1छ.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ज.	1514	तोरिया, कोल्जां या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1झ.	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ण.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीसकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं।
1त.	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निर्मितियां।
1थ.	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको

		छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं ।
1द	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1घ	2702	लिंगनाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/371, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 2 सितंबर, 2019, जिसे सं.फा.03(11)/वित्त(राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/377, दिनांक 2 सितंबर, 2019, के तहत तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)

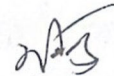
उप सचिव-I (वित्त)

सं.फा.03(30)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/897

दिनांक: 17/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- विशेष सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वेब साईट।
- गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव-I (वित्त)